न्यायालय अंचल अधिकारी देवरी।

केश संख्या : 08/20-21
केश का प्रकार :-

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारिख सहित
	रामेश्वर यादव पिता–स्व0 हेमलाल यादव, ग्राम–धावाटॉड थाना–भेलवाघाटी जिला गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर मौजा धावाटॉड थाना नं0– 96 खाता नं0–01 प्लॉट नं0–03 रकवा कमशः–0.36डी0, 0.12डी0 पर डुंगन यादव पिता स्व0 आमो यादव द्वारा जबरन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की शिकायत किया है। राजस्व उप निरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें वर्णित है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी टोडी महतो पिता स्व0 नीरो महतो के नाम कायम है। द्वितीय पक्ष द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राप्त आवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 9.7.2020 को रखें। 26.6.2020 अंचल अधिकारी, देवरी। 26/06/2020	
9.7.2020	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों को सुना तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया। आदेश पर रखें। 9.7.2020 **आदेश** प्रथम पक्ष रामेश्वर यादव पिता- स्व0 हेमलाल यादव, ग्राम- धावाटॉड, थाना - भेलवाघाटी द्वारा मौजा धावाटॉड, खाता सं0-01, प्लॉट नं0-03 रकबा क्रमशः 0.36 एकड़, 0.12 एकड़ पर डुगन यादव पिता- स्व0 आमो यादव द्वारा जबरन PMAY निर्माण किये जाने का शिकायत किया गया।	

राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है

यह विवाद प्रथम दृष्टया खतियानी रैयत के वंशज के बीच बंटवारा को लेकर उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है।

यह विवाद स्वत्व से संबंधित है, जिसपर निर्णय लेने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(हस्ताक्षर) 9.7.2020
अंचल अधिकारी
देवरी।

(हस्ताक्षर) 9.7.2020
लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

न्यायालय अंचल अधिकारी,देवरी अनुमंडल– खोरीमहुआ।

नोटिस बनाम:–

1. रामेश्वर यादव
   पिता– स्व0 हेमलाल यादव
   साकिन– धावाटॉड
   थाना– भेलवाघाटी
   जिला– गिरिडीह।

बनाम

2. डुगन यादव
   पिता स्व0 आमो यादव
   साकिन– धावाटॉड
   थाना–भेलवाघाटी
   जिला– गिरिडीह।

वजरिये नोटिस आप दोनों पक्षो को सूचित किया जाता है, कि थाना नं0–96 मौजा धावाटॉड के खाता नं0 01 प्लॉट नं0 03 रकवा 0.36डी0 एवं 0.12डी0 उक्त भूमि से संबंधित मूल राजस्व कागजात के साथ आप अद्योहस्तक्षरी के न्यायालय कक्ष में दिनाक 9.7.2020 को पूर्वाहन समय 11:00बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। अन्यथा एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी। जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।
कार्यालय का मोहर

28.6.2020
अंचल अधिकारी,
देवरी।

दीपक कुमार यादव
27.6.2020
Dasrath yoda
27.6.2020